न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः- 54/2013 वाद पत्र

उनवान

1-श्रवण पिता बरदीचन्द ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय कन्हैयालाल पिता श्रवण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1-मगना पिता देवी भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 90ए भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित

सुनील बापना- **अधिवक्ता वादी**

फारूख मोहम्मद **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांक 20.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट नाथडियास में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी नं. 346 रकबा 1.08 है0 लगानी 3.75 ग्राम पनोतिया पटवार सर्कल नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित है प्रमाण में प्रमाणित जमाबन्दी सं 2068 से 2071 मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत है। प्रतिवादी का वादी की उक्त खातेदारी अधिकार की आराजी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी उसने सन् 2005 के 20 मई को वादी की आराजी के उत्तरी भाग जिसे संलग्न नजरी नक्शे में सुर्खी से दर्शाया गया हे पर अनाधिकार रूप से प्रवेश कर बाडा बना दिया जबकि इस बाबत प्रतिवादी ने वादी से कभी कोई सहमति/स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की। एवं कुछ पूर्वी हिस्से में अपनी काकी सरजू को मकान बनाकर दे दिया एवं सरजू का निवास बना लिया जिसके बाबत वादपत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी अब इस बाडे की दीवारों को गिराकर नींवें खोदकर नवीन रूप से मकान बनाना चाह रहा है जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। इस बाबत यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की इस नाजायज हरकत से वादी को सालाना फसल लाभ से मिलने वाले 1000/- का नुकसान हो रहा है तथा प्रतिवादी ने कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग करने हेतु समपरिवर्तित भी नहीं कराई है, जिससे वादी 179 रा0 का0 अधिनियम व धारा 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भी दावेदार है। मालियत वादपत्र 5000/- कायम करता है, किन्तु वाद पत्र आर टी एक्ट व लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत होने से प्रस्तुत है। बिनाय वाद प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत आधिपत्य करने की दिनांक 20/05/2005 से उत्पन्न होकर प्रतिदिन जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 06.06.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या की ओर से अधिकार पत्र फारूख मोहम्मद अधिवक्ता का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी कि ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वादी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाबानुसार वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 जा0दी0 का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का पेश किया जिसकी प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई गई प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । वादी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया । संशोधित टाईटल अनुसार श्रवण मृतक के बजाय

कन्हैयालाल द्वारा शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये जिसकी प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 मे भी नोटिस जारी किये गए। नोटिस की पालना मे वादी एवं प्रतिवादी स्वंय उपस्थित हुए तथा राजीनामा पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनाम पत्र अनुसार वादी की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 है0 ग्राम पनोतिया पर नपती **48*41** फिट पर प्रतिवादी का पक्का मकान बना लिया है उक्त पक्के मकान की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादी के करा देगा तथा बाकी बची भूमि जिस पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है वो कब्जा 15 दिवस में प्रतिवादी हटा देगा कब्जा हटाने के बाद वादी पक्के मकान की रजिस्ट्री करवा देगा। रजिस्ट्री खर्चा प्रतिवादी का रहेगा।

अतः न्यायालय प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएव

आदेश

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 है0 ग्राम पनोतिया पर नपती **48*41** फिट पर प्रतिवादी का पक्का मकान बना लिया है उक्त पक्के मकान की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादी के करा देगा तथा बाकी बची भूमि जिस पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है वो कब्जा 15 दिवस में प्रतिवादी हटा देगा कब्जा हटाने के बाद वादी पक्के मकान की रजिस्ट्री करवा देगा। रजिस्ट्री खर्चा प्रतिवादी का रहेगा । राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। राजीनामा आदेश का भाग माना जाए।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 54/2013 वाद पत्र

उनवान

1–श्रवण पिता बरदीचन्द ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.) मृतक के बजाय कन्हैयालाल पिता श्रवण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–मगना पिता देवी भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 90ए भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 है0 ग्राम पनोतिया पर नपती 48*41 फिट पर प्रतिवादी का पक्का मकान बना लिया है उक्त पक्के मकान की रजिस्ट्री वादी प्रतिवादी के करा देगा तथा बाकी बची भूमि जिस पर प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है वो कब्जा 15 दिवस में प्रतिवादी हटा देगा कब्जा हटाने के बाद वादी पक्के मकान की रजिस्ट्री करवा देगा। रजिस्ट्री खर्चा प्रतिवादी का रहेगा । राजीनामा आदेश का भाग रहेगा।

यह आज तारीख 20/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा